न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 295/2012
पंजीयन दिनांक 03.09.2012

(1). छोगालाल उर्फ छोगा पिता स्वर्गीय कालुराम उर्फ कालु जाति ब्राहम्ण निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

(1). भगवानीबाई पुत्री कालूराम पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय–

1/1. श्यामलाल पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

1/2. जगदीश उर्फ बाबूलाल पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

1/3. सुरेश पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

1/4. कन्हैयालाल पिता मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

1/5. रूकमण पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पालका तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

(2). घीसूलाल पिता कालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय–

2/1. गोवर्धनलाल पिता घीसूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/2. बाबुलाल पिता घीसूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/3. राजु पिता घीसूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/4. पुष्पा पुत्री घीसूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुवावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/5. गीतादेवी पुत्री घीसूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गढ़ आकोला तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

2/6. राधाबाई पत्नी स्वर्गीय घीसूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(3). मिट्ठुलाल पुत्र कालुराम जाति ब्राहम्ण निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

व जिला चित्तौड़गढ़।

(4). मांगीलाल पुत्र भगवानलाल ब्राहम्ण निवासी नरपत की खेड़ी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(5). राजस्थान सरकार समन्स टू जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(6). भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(7). मंगल पिता उदयसिंह खंगारोत जाति राजपूत निवासी पंचवटी कॉलेज ग्राउण्ड के सामने वाली गली, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़
प्रकरण संख्या 197/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2012

उपस्थित वक्त बहस–(1). सावन श्रीमाली–अधिवक्ता अपीलांट
(2). सुरेशचन्द्र शर्मा– रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2
(3). रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/3 से 1/5, 2/1 से 2/6, 3, 4, 7–बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 5, 6

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 30.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा नरपत की खेड़ी तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी संख्या 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329 कुल किता 9 कुल रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा एवं आ0चाह संख्या 326 रकबा 6 बिस्वा मे वादी अपीलांट के पिता कालूराम का 3/4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 6 मांगीलाल का 1/4 हक व हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित साबिक आराजीयात की नवीन आराजी संख्या 507, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 कुल किता 12 कुल रकबा 3.00 हैक्टेयर है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का अपीलांट वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के पिता खातेदार कालूराम द्वारा अपीलांट वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के पक्ष मे दिनांक 03.04.1983 को वसीयतनामा निष्पादित करा दिया और अपने जीवनकाल मे ही अपने उक्त चारों पुत्रो को मौखिक बंटवाड़ा कर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात अलग–अलग कर सुपुर्द कर दी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वसीयत से चारो पुत्रो को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का मालिक बनाया है। उक्त वसीयतनामे मे प्रतिवादी संख्या 1 भगवानी को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात वसीयतकर्ता स्वर्गीय कालूराम की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसे वसीयत करने का पूरा अधिकार स्वर्गीय कालूराम को था। उक्त वसीयतनामे के आधार पर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के नाम पृथक-पृथक खातेदारी मे उनके हक हिस्से व कब्जे अनुसार दर्ज रेकॉर्ड हुई। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर अपीलांट वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 4 जयकिशन के हिस्से मे दर्ज हुई आराजीयात को उसके द्वारा हरीश पिता गोवर्धन लाल इणाणी को विक्रय कर दिया जिससे जमाबन्दी मे जयकिशन की जगह हरीश ईनाणी का नाम अंकित हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 भगवानी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहा ग्राम पंचायत कश्मोर के नामान्तरण संख्या 12 के निर्णय दिनांक 20.04.1989 के विरूद्ध दिनांक 14.12.2004 को अपील पेश की और उक्त अपील दिनांक 06.04.2009 को निर्णित की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 भगवानी का 1/5 हिस्सा मानते हुए उक्त 1/5 हिस्सा वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के खाते मे प्रतिवादी संख्या 1 भगवानी का हिस्सा दर्ज करने का आदेश पारित किया एवं जयकिशन के हिस्से मे भगवानी को कोई अधिकार नहीं दिया। उक्त निर्णय विधि विपरीत है। इस निर्णय से वादी अपीलांट व प्रतिवादीगण के अधिकार जो कायम हो गये थे, उन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से मे प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, उसी प्रकार वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 5 को 1/4 हिस्सा वादी अपीलांट के पिता के जीवनकाल से ही कब्जे मे आकर प्राप्त हो गया था उसमे भी प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है फिर भी उसे जो अधिकार दिलाया गया है वह गलत है और प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम इन्तकाल खुलते ही अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये पंजीकृत दान पत्र दिनांक 09.03.2010 को हस्तांतरित कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे एक इंच भी कब्जा नही रहा है। कथित दानपत्र पूर्णतः अवैध होकर वादी अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के हितो पर कोई असर नहीं रखता है, जो शून्य होकर प्रभावहीन है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी सख्या 9 के पक्ष मे किया गया विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2010 एवं विक्रय शुद्धि पत्र दिनांक 14.07.2010 पूर्णतः अवैधानिक होकर शून्य व प्रभावहीन है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के वादी अपीलांट एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 4 जयकिशन ने अपना हिस्सा हरीश ईनाणी को विक्रय कर दिया है जो अपने क्रयशुदा हिस्से पर काबिज है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 1 , प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 9 का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। उक्त इन्तकाल अपील का निर्णय गैर कानूनी होने से वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी सख्या 3 व 5 एवं केता हरीश को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज अनुसार व वसीयत के अनुसार घोषित किया जाना आवश्यक है। अन्त मे वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 5 व केता हरीश प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 , 2 व 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 रेस्पोडेन्ट सख्या 7 की ओर से जवाबदावा मय विशेष कथन एवं प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया। वादी अपीलांट की ओर से प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनो पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2012 को प्रतिवादी संख्या 9 रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र आदेश 7 नियम 11 डी जाप्ता दीवानी के प्रावधानो के अुनसार विधि द्वारा वर्जित होने से प्रस्तुत वादपत्र स्वयं के श्रवणाधिकार का नहीं होना बताकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 व रेस्पोडेन्ट सख्या 5 व 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का अपीलांट वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के पिता खातेदार कालूराम द्वारा अपीलांट वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के पक्ष मे दिनांक 03.04.1983 का वसीयतनामा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...दित करा दिया और अपने जीवनकाल मे ही अपने उक्त चारों पुत्रो को मौखिक बंटवाड़ा कर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात अलग-अलग कर सुपुर्द कर दी और वसीयत से चारो पुत्रो को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का मालिक बनाया है। उक्त वसीयतनामे मे प्रतिवादी संख्या 1 भगवानी को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात वसीयतकर्ता स्वर्गीय कालूराम की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसे वसीयत करने का पूरा अधिकार स्वर्गीय कालूराम को था। उक्त वसीयतनामे के आधार पर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के नाम पृथक-पृथक खातेदारी मे उनके हक हिस्से व कब्जे अनुसार दर्ज रेकॉर्ड हुई। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर अपीलांट वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 4 जयकिशन के हिस्से मे दर्ज हुई आराजीयात को उसके द्वारा हरीश पिता गोवर्धन लाल ईनाणी को विक्रय कर दिया जिससे जमाबन्दी मे जयकिशन की जगह हरीश कुमार का नाम अंकित हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 भगवानी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहा ग्राम पंचायत कश्मोर के नामान्तरण संख्या 12 के निर्णय दिनांक 20.04.1989 के विरूद्ध दिनांक 14.12.2004 को अपील पेश की और उक्त अपील दिनांक 06.04.2009 को निर्णित की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 भगवानी का 1/5 हिस्सा मानते हुए उक्त 1/5 हिस्सा वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के खाते मे प्रतिवादी संख्या 1 भगवानी का हिस्सा दर्ज करने का आदेश पारित किया एवं जयकिशन के हिस्से मे भगवानी को कोई अधिकार नहीं दिया। उक्त निर्णय विधि विरूद्ध है। इस निर्णय से वादी अपीलांट व प्रतिवादीगण के अधिकार जो कायम हो गये थे, उन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से मे प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, उसी प्रकार वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 5 को 1/4 हिस्सा वादी अपीलांट के पिता के जीवनकाल से ही कब्जे मे आकर प्राप्त हो गया था उसमे भी प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है फिर भी उसे जो अधिकार दिलाया गया है वह गलत है और प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम इन्तकाल खुलते ही अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये पंजीकृत दान पत्र दिनांक 09.03.2010 को हस्तांतरित कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे एक इंच भी कब्जा नही रहा है। कथित दानपत्र पूर्णतः अवैध होकर वादी अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के हितो पर कोई असर नहीं रखता है, जो शून्य होकर प्रभावहीन है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी सख्या 9 के पक्ष मे किया गया विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2010 एवं विक्रय शुद्धि पत्र दिनांक 14.07.2010 पूर्णतः अवैधानिक होकर शून्य व प्रभावहीन है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के वादी अपीलांट एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 खातेदार काश्तकार है। जयकिशन ने अपना हिस्सा हरीश ईनाणी को विक्रय कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

है जो अपने कयशुदा हिस्से पर काबिज है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 9 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। उक्त इन्तकाल अपील का निर्णय गैर कानूनी होने से वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 5 एवं केता हरीश ईनाणी को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज अनुसार व वसीयत के अनुसार घोषित किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र आदेश 7 नियम 11 डी जाप्ता दीवानी के प्रावधानो के अुनसार विधि द्वारा वर्जित होने से प्रस्तुत वादपत्र राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होना बताकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पूर्व मे अपीलांट वादी के पिता कालूराम के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी । कालूराम की मृत्यु के पश्चात विरासती नामान्तरण से उक्त आराजीयात अपीलांट वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज हो गई। उक्त नामान्तरण की अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सक्षम न्यायालय मे की जाकर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत अपील के संबंध मे पारित आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 303 दिनांक 03.03.2010 स्वीकृत किया जाकर अपीलांट वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक हिस्सा खातेदारी मे दर्ज किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं के दर्ज 1/5 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये पंजीकृत दान पत्र हस्तांतरित किया। उक्त पंजीकृत दान पत्र के अनुसार नामान्तरण संख्या 304 दिनांक 14.03.2010 स्वीकृत होकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं के दर्ज 1/5 हिस्से को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 9 को हस्तांतरित किया गया। वादी अपीलांट ने उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र व दान पत्र को शून्य व अवैध होना बताकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की दाद चाही है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनो पंजीकृत दस्तावेजो को शून्य व प्रभावहीन नहीं होना बताकर शून्य करणीय दस्तावेज होना मानते हुए उक्त दोनो पंजीकृत दस्तावेजों को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कराये बिना वादपत्र चलने योग्य नही होना मानते हुए एवं वादी अपीलांट का वादपत्र, आदेश 7 नियम 11 डी जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होकर राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

होने से वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पूर्व मे अपीलांट के पिता कालूराम के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी । कालूराम की मृत्यु के पश्चात विरासती नामान्तरण से उक्त आराजीयात अपीलांट वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज की गई। उक्त नामान्तरण की अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सक्षम न्यायालय मे की जाकर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत अपील के संबंध मे पारित आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 303 दिनांक 03.03.2010 स्वीकृत किया जाकर अपीलांट वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक हिस्सा खातेदारी मे दर्ज किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं के दर्ज 1/5 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये पंजीकृत दान पत्र हस्तांतरित किया। उक्त पंजीकृत दान पत्र के अनुसार नामान्तरण संख्या 304 दिनांक 14.03.2010 स्वीकृत होकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वयं के दर्ज 1/5 हिस्से को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 9 को हस्तांतरित किया गया। वादी अपीलांट ने उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र व दान पत्र को शून्य व अवैध होना बताकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की दाद चाही है। उक्त दोनो पंजीकृत दस्तावेज शून्य प्रभावी नहीं होकर शून्य करणीय दस्तावेज है, जिनको सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही शून्य घोषित करवाया जा सकता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जिसमे उक्त दोनो पंजीकृत दस्तावेजो को शून्य प्रभावी नहीं होना बताकर शून्य करणीय दस्तावेज होना बताया है एवं उक्त दोनो पंजीकृत दस्तावेजो को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कराये बिना वादपत्र चलने योग्य नही होना अंकित किया है । साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 डी जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा वर्जित होना बताकर राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही होने से वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...स्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 197/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2012 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 295/2012 /डिक्री

(1) श्री छोगालाल उर्फ छोगा पिता स्वर्गीय कालुराम उर्फ कालु जाति ब्राह्मण निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री भगवानीबाई पुत्री कालूराम पत्नी मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय—

1/1. श्यामलाल पिता मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

1/2. जगदीश उर्फ बाबूलाल पिता मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

1/3. सुरेश पिता मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ .... दि. 09-07-2012

प्रकरण सं. 197/2010 अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 30-8-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सावन श्रीमाली रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री सुरेशचन्द्र शर्मा - रेस्पो. संख्या 1/2 (रेस्पो. संख्या 1/1, 1/3 से 1/5, 2/1 से 2/6, 3, 4, 7 अनुपस्थित, पूरणमल स्वर्णकार राज. अधि. रेस्पो 5, [illegible]) की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर (अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 197/2010 निर्णय व डिक्री) दिनांक 09-07-2012 यथावत रखे जाते हैं।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि -/- रुपये हैं, -/- द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे -/- द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 30-8-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़
राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 30-8-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.